उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

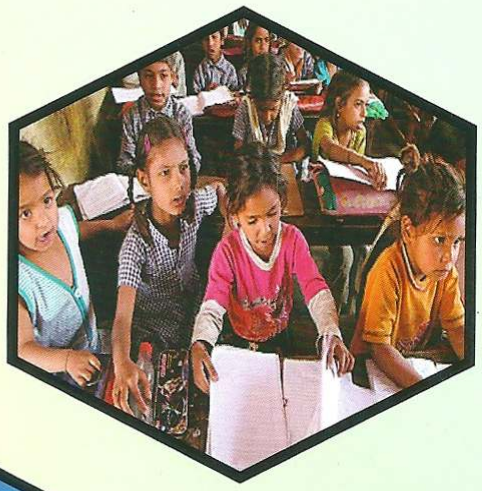

2011 - 2012

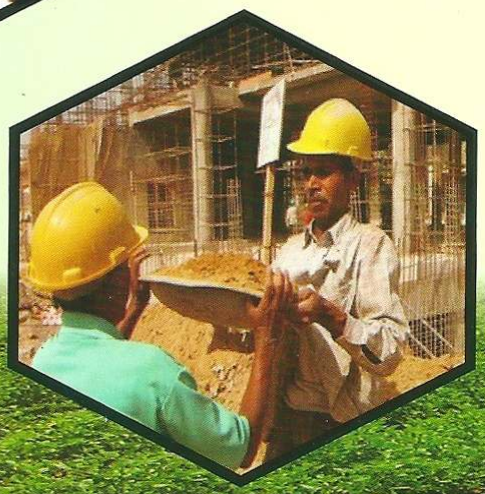

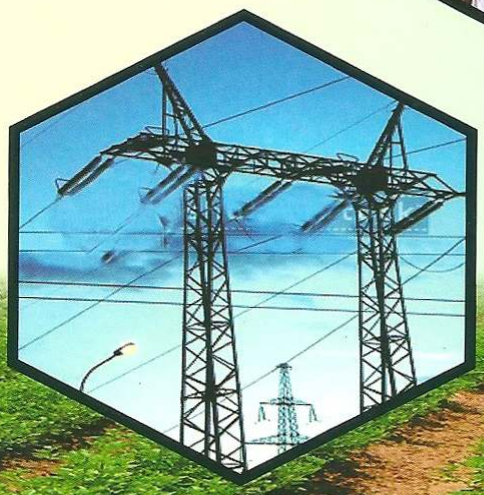

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश
website: http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–317

उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

2011–2012

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश

दिसम्बर – 2011

website: http:// updes.up.nic.in

प्राक्कथन

आय–व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख हैं, जिसमें सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965–66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा हैं। यह कार्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

आय–व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत मुख्य रुप से वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन–देन एवं अन्तरण, वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन तथा वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन के विभिन्न मदों के अधीन व्यय अनुमान दर्शाये गये हैं।

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत व्यय के मदों को कार्य के आधार पर विभिन्न नौ भागों में बांटते हुये चालू व्यय एवं पूंजीगत व्यय/ परिव्यय का आंकलन दर्शाया गया हैं।

आय–व्ययक वर्गीकरण की प्रस्तुत पुस्तिका को श्रीमती अलका ढौंडियाल, उप निदेशक के मार्ग दर्शन में तथा श्रीमती कंचन जायसवाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी की कुशल देख–रेख में तैयार किया गया है। राज्य आय अनुभाग के श्री अशोक कुमार मिश्र, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री अरुण कुमार गुप्ता, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, श्रीमती मणि श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक, कु0 आभा, कनिष्ठ सहायक एवं ग्राफ अनुभाग के सहायकों के द्वारा किया गया परिश्रम विशेष रुप से सराहनीय हैं।

आशा है प्रस्तुत अंक पूर्व अंकों की भांति प्रशासकों, अर्थशास्त्रियों, नीतिनिर्धारिकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

(हिमांशु सिंह)
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

लखनऊ :
दिनांक : 27 दिसम्बर, 2011

विषय–सूची

भाग–1 – आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय	पृष्ठ–संख्या
1– भूमिका	1 – 4
2– लेखा विवरण	5 – 14
3– सामंजस्य	15 – 18
4– कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष	19 – 25
5– लेखाओं पर टिप्पणी	26 – 31

भाग–2 – कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

6–	(1) आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण	32
	(2) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त	32 – 33
	(3) सारणियां	33 – 53
7–	कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी–	54 – 57
	परिशिष्ट–1 (अ) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय	58 – 59
	1 (ब) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय का प्रतिशत वितरण	60 – 61

****

भाग–1

आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय––1

भूमिका

1.1– आय–व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमे सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमे प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन–देनो का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष आय–व्ययक स्मृति–पत्र और ब्योरेवार अनुमान एवं अनुदान में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें क्रमागत तीन वर्षो, गत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय–व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियत्रंक की आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रहता है। इस प्रकार आय–व्ययक केवल वैधानिक नियत्रंण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन–देनों के लेखा सम्परीक्षा सम्बंधी सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है।

1.2– पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्व बढ़ने के साथ आय–व्ययक सम्बंधी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विधि–विधान में काफी परिवर्तन एवं सुधार किये गये है। फिर भी आय–व्ययक में दिये गये आंकड़ों का वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन–देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नही हो पाता है। उदाहरणार्थ आय–व्ययक सम्बंधी संसाधनों से पूंजी निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आय में अंशदान, राज्य सरकार के आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देनों से घाटे के परिणाम का ज्ञान, राज्य के आय–व्ययक से नही हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाये गये वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बोध तो होता है किन्तु "अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं" पर किये गये व्यय का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिये ।

1.3– राज्य सरकार के आय–व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यतः चालू खपत सम्बंधी व्यय, पूंजी निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रुप में बांटा जाता है। आय–व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चालू खपत सम्बंधी व्यय तथा पूंजी अथवा व्यवस्था सम्बंधी व्यय पृथक–पृथक

कितना है। उदाहरण के लिये खपत सम्बंधी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती है जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूंजी निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है अतः राजकीय लेनदेनों का अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ व्यवस्था के अन्य खण्डों से उपलब्ध तत्सम्बंधी प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता हैं। शेष अर्थ व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं- जैसे- केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी व्योरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूंजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रुप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बंधित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अर्न्तगत बांटकर दिया गया है।

1.4- उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से कर रहा हैं।

1.5- इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के समान ही है, अर्थात् वर्ष 2011-2012 के लिये आय-व्ययक में दिये गये वर्ष 2009-2010 के वास्तविक व्यय, वर्ष 2010-2011 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनर्वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रुप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6- राज्य सरकार के समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और

भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया । वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आयोजित कार्यशाला में हुये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये पुस्तिका के विवरणों में आवश्यक संशोधन पुनः किये गये। उदाहरणार्थ परिवहन एवं संचार के अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बंधी व्यय का आधा पूंजीगत तथा आधा भाग खपत सम्बंधी व्यय माना गया। वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार एक ओर चालू लेन-देन को पूंजीगत लेन-देन से पृथक किया गया तथा दूसरी ओर 'वस्तुओं और सेवाओं' में लेन-देन को अन्तरण से पृथक कर दिया गया। इसी प्रकार राजकीय प्रशासन से चालू लेन-देन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू लेन-देन से पृथक कर दिया गया क्योंकि राजकीय प्रशासन के 'वस्तुओं और सेवाओं' पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है जबकि वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय अन्तर्वर्ती व्यय है- जैसे कच्चा माल, ईधन इत्यादि के मूल्य । इसी प्रकार शुद्ध विभागीय लेन-देन को भी 'वस्तुओं और सेवाओं' में लेन-देन एवं अन्तरणों से पृथक कर दिया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों से अगस्त, 1986 में हुये विचार विमर्श के अनुसार कार्य सम्बंधी वर्गीकरण की मदों में कुछ संशोधन किये गये जिसके अनुसार पूर्व वर्षो में प्रस्तुत मद-5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाओं को दो उपमदों "समाज कल्याण सेवायें" तथा "समाज सुरक्षा सेवाओं" में विभक्त कर दिया गया। मद-8.5 परमाणविक ऊर्जा की मद अतिरिक्त मद के रुप में जोड़ी गई। इसी प्रकार मद-9 अन्य सेवाओं को दो उपमदों "विपदा सहायता" तथा "अन्य विविध कार्य" में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति की दिनांक 3 से 5 जून, 1987 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वर्गीकरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किये गये। स्कूल के बच्चों को भोजन एवं पौष्टिक आहार पर किये गये व्यय तथा गुप्त सेवा व्यय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय न मानकर चालू अन्तरण माना गया तथा आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गये व्यय को कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत आर्थिक सेवा न मानकर स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया। अभी तक सम्पूर्ण पेंशन राशि को सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत माना जाता रहा था, जिसे अब सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वेतन और मजदूरी पर हुये व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे पुनः कार्य सम्बंधी वर्गीकृत मदों

के वेतन और मजदूरी सम्बंधी व्यय के अनुपात में विभाजित किया गया। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं पर हुये व्यय में से किराये की राशि को अलग कर अतिरिक्त मद के रुप में प्रस्तुत किया गया।

1.7– राज्य सरकार के आय–व्ययक सम्बंधी समस्त लेन–देनों को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा में दो पक्ष है– आय पक्ष तथा व्यय पक्ष

लेखा 1–वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण– सरकारी प्रशासन का चालू खाता।

लेखा 2–वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।

लेखा 3–वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण– सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 4–वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन – सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 5– वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन – सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 6–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता।

1.8– प्रस्तुत पुस्तिका में आय–व्ययक के कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं उसका प्रतिशत वितरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय के वास्तविक एवं प्रतिशत वितरण सम्बंधी वर्ष 1999–2000, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 तथा 2009–2010 के आकड़ों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट के रुप में दिखायी गयी है।

****

अध्याय–2

लेखा विवरण

2.1– आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा–1 से 3 सरकार के वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन–देन से सम्बंधित है। लेखा–1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत सम्बंधी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्यौरा दिया गया हैं, जिसमें खपत सम्बंधी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेंशन तथा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय को अलग–अलग दर्शाया गया हैं। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा दिया गया है। लेखा–2 में राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे– वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्यौरा दिया गया है। लेखा–3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूंजी व्यय तथा पूंजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2– लेखा– 4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेन–देनों का ब्यौरा दिया गया है जो शेष अर्थ व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। लेखा– 4 में वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बंधी समस्त लेन–देनों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें अंशकों में निवेश, पूंजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित हैं। लेखा– 5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। जिसमें सार्वजनिक ऋण, निक्षेप तथा विप्रेषण सम्मिलित किया गया है। लेखा– 6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा–3, 4, 5 की शुद्ध स्थिति का समावेश करते हुये राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से सम्बंधित समस्त लेन–देन के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3– उपरोक्त 6 लेखा आगे के पृष्ठों पर दिये गये है।

****

उत्तर प्रदेश
लेखा
वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय-	**3225812**	**3975861**	**4070418**
1.1- कर्मचारियों को प्रतिकर	**2919196**	**3419250**	**3573043**
(क) मजदूरी और वेतन	1900488	2259607	2330544
(ख) पेंशन	1018708	1159643	1242499
1.2- वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय-	**306616**	**556611**	**497375**
(क) वस्तुओं और सेवाओं का क्रय *	612778	872298	884799
(ख) घटाइयें- वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय	306162	315687	387424
2- अन्तरण अदायगियां-	**4628397**	**5701780**	**6896734**
2.1- ब्याज	**1142433**	**1279364**	**1418336**
2.2- अनुदान-	**2482555**	**3252380**	**4127921**
(क) स्थानीय निकायों को	336003	443489	530825
(ख) सहकारी संस्थाओं को	0	0	0
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	1463365	1812496	2471101
(घ) अन्य संस्थाओं	683187	996395	1125995
**2.3- राज सहायता ** **	**726370**	**891656**	**1058133**
2.4- अन्य चालू अन्तरण	**277039**	**278380**	**292344**
3- चालू खाते में बचत	199400	908667	1358691
4- योग	**8053609**	**10586308**	**12325843**

* 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 5695 लाख रु0, 8930 लाख रु0 एवं 7896 लाख रु0 के बराबर मानकर प्रशासनिक खपत सम्बंधी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

** 2009-2010, 2010-2011एवं 2011-2012 में वानिकी, उद्योग तथा सिंचाई प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 304586 लाख रु0, 402558 लाख रु0 एवं 468292 लाख रु0 राज सहायता मान कर सम्मिलित कर लिया गया है।

सरकार

–1

–सरकारी प्रशासन का चालू खाता **(लाख रुपयों में)**

राजस्व	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
5	6	7	8
5– कर राजस्व–	**6514735**	**8169929**	**9852451**
5.1– प्रत्यक्ष कर	**2387215**	**2548878**	**2929132**
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	728926	763734	895096
(ख) राज्य कर	1658289	1785144	2034036
5.2– अप्रत्यक्ष कर–	**4127520**	**5621051**	**6923319**
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	247049	215128	260472
(ख) राज्य कर	3880471	5405923	6662847
6– उद्यमों और सम्पत्तियों से आय–	**12734**	**63295**	**68188**
6.1– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ	-9000	0	0
6.2– विनियोग से आय	2739	4954	5251
6.3– राज्य विद्युत परिषद् से ब्याज की प्राप्तियां	0	0	0
6.4– ब्याज की प्राप्तियां	3953	7720	6244
6.5– सम्पत्तियों से अन्य आय	15042	50621	56693
7– परिवारों से अन्तरण	64752	17463	6681
8– राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ व्यवस्था से वसूलियां	1461388	2335621	2398523
9– योग	**8053609**	**10586308**	**12325843**

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण

	व्यय	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
	1	2	3	4
1–	मजदूरी और वेतन	243917	348568	356528
2–	वस्तुएं और सेवाएं	55312	56566	70873
3–	किराया	78	96	82
4–	मरम्मत और अनुरक्षण	33234	34550	86791
5–	ब्याज	34677	60118	59918
6–	अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	11	11	11
7–	ग्रहीत लाभ	0	0	0
8–	सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	-9000	0	0
9–	योग	**358229**	**499909**	**574203**

सरकार

-2

-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
5	6	7	8
10- विक्रय से आय-	**367229**	**499909**	**574203**
(क) वन *	38202	50070	50545
(ख) सिंचाई **	320195	438933	512762
(ग) दूध सम्पूर्ति	0	0	0
(घ) राजकीय मुद्रणालय #	8832	10906	10896
(ड.) उद्योग ##	0	0	0
11- अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज	-9000	0	0
12- योग	**358229**	**499909**	**574203**

*वानिकी द्वारा वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 11073 लाख रु0, 22570 लाख रु0 एवं 17155 लाख रु0 सम्मिलित है।

** सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 293513 लाख रु0, 379988 लाख रु0 एवं 451137 लाख रु0 सम्मिलित है।

राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 5695 लाख रु0, 8930 लाख रु0 एवं 7896 लाख रु0 सम्मिलित है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 0 लाख रु0, 0 लाख रु0 एवं 0 लाख रु0 सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश
लेखा
वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण

संवितरण	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
1– सकल पूंजी निर्माण–	**751515**	**1502250**	**1662369**
(अ)– सरकारी प्रशासन द्वारा	**534338**	**1231867**	**1366288**
1.1– भवन तथा अन्य निर्माण–	**146579**	**1317157**	**1349204**
क– भवन निर्माण–	**-588942**	**384180**	**401556**
(1)– नया परिव्यय	-588942	384180	401556
(2)– नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख– अन्य निर्माण–	**735521**	**932977**	**947648**
(1)– नया परिव्यय	735521	932977	947648
(2)– नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.2– मशीन एवं उपकरण–	**32746**	**73983**	**70570**
(1)– नया परिव्यय	32746	73983	70570
(2)– नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.3– तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि–	**355013**	**-159273**	**-53486**
(1)– निर्माण सम्बंधी सामान	-334	1	0
(2)– अन्न, उर्वरक आदि का भण्डार	355347	-159274	-53486
(ब)– वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा	**217177**	**270383**	**296081**
1.4– भवन तथा अन्य निर्माण–	**235016**	**266424**	**265288**
क– भवन निर्माण–	**1233**	**1859**	**147**
(1)– नया परिव्यय	1233	1859	147
(2)– नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख– अन्य निर्माण–	**233783**	**264565**	**265141**
(1)– नया परिव्यय	233783	264565	265141
(2)– नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.5– मशीन एवं उपकरण–	**2047**	**3959**	**30793**
(1)– नया परिव्यय	2047	3959	30793
(2)– नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.6– तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि	**-19886**	**0**	**0**
2– पूंजी अन्तरण–	**359107**	**470068**	**410115**
2.1– पूंजी अनुदान स्थानीय निकायों को	0	0	0
2.2– पूंजी अनुदान अन्य को	359107	470068	410115
2.3– जमींदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर	0	0	0
3– योग	**1110622**	**1972318**	**2072484**

सरकार

–3

–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

	प्राप्तियां	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
	5	6	7	8
4–	**सकल बचत–**	**199411**	**908678**	**1358702**
	4.1– सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत	199400	908667	1358691
	4.2– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	11	11	11
	4.3– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ग्रहीत लाभ	0	0	0
5–	**पूंजी अन्तरण–**	**258922**	**162651**	**242571**
	5.1– सम्पदा शुल्क	0	0	0
	5.2– भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से पूंजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां	258922	162651	242571
6–	**वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन–देन और अन्तरणों में शेष**	**652289**	**900989**	**471211**
7–	**योग**	**1110622**	**1972318**	**2072484**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- निवेश	**568502**	**513110**	**429623**
1.1- राजकीय उपक्रमों में	568502	513110	429623
1.2- अन्य उपक्रमों में	0	0	0
2- ऋण एवं अग्रिम-	**94185**	**107436**	**92330**
2.1- पूंजी निर्माण हेतु	**39886**	**56533**	**42690**
(क) सहकारिता को	0	0	0
(ख) स्थानीय निकायों को	18890	22500	14833
(ग) राज्य विद्युत परिषद को	0	0	0
(घ) सार्वजनिक उद्यमों को	11341	21553	15430
(ड) अन्य को	9655	12480	12427
2.2- चालू खपत हेतु-	**54299**	**50903**	**49640**
(क) सहकारिता को	39391	1591	116
(ख) स्थानीय निकायों को	0	0	0
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को	5718	15001	15001
(घ) अन्य को	9190	34311	34523
3- योग	**662687**	**620546**	**521953**
ख- आय-			
4- ऋणों की वसूलियां	29308	90253	67177
5- शेष-वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि	633379	530293	454776
6- योग	**662687**	**620546**	**521953**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- सार्वजनिक ऋणों की वापसी-	**670863**	**816983**	**835625**
1.1- स्थायी ऋण	245549	192586	299674
1.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	119986	130026	131291
1.3- अन्य ऋण	305328	494371	404660
2- शेष-वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि	1295994	1247728	975660
3- योग	**1966857**	**2064711**	**1811285**
ख- आय-			
4- सार्वजनिक ऋण	**2152910**	**2198533**	**2391239**
4.1- स्थायी ऋण	1387693	1316848	1587872
4.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	28265	128097	100279
4.3- अन्य ऋण	736952	753588	703088
4.4- अल्पकालीन ऋण (शुद्ध)	0	0	0
5- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	**387011**	**318107**	**380484**
6- अर्न्तराज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	**-972**	**0**	**0**
7- अन्य- ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध)	**-572092**	**-451929**	**-960438**
8- योग	**1966857**	**2064711**	**1811285**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (सन्तुलनकारी मद, लेखा-3)	652289	900989	471211
2- वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद, लेखा-4)	633379	530293	454776
3- रोकड़ बाकी में वृद्धि	10326	0	49673
4- योग	**1295994**	**1431282**	**975660**
ख- आय-			
5- वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद, लेखा-5)	1295994	1247728	975660
6- रोकड़ बाकी में कमी	0	183554	0
7- योग	**1295994**	**1431282**	**975660**

अध्याय-3

सामंजस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणी) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिये गये योगों से नहीं मिलते है। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 2011-2012 के लिये राजस्व लेखा की प्राप्तियां 131428.70 करोड़ रुपये रखी गयी है जबकि इस वर्गीकरण के लेखा-1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिये चालू राजस्व 123258.43 करोड़ रुपये निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 2011-2012 के लिये राजस्व लेखा से वाह्य राजकीय पूंजीगत व्यय 24343.17 करोड़ रुपये हैं, जबकि यही धनराशि इसी वर्गीकरण के लेखा-3 में 20724.84 करोड़ रुपये है। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा बचत आय-व्ययक में दिखाये गये अतिरेक एवं बचतों से भिन्न है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 5635.04 करोड़ रुपये का बचत इंगित करता है, जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा-1) का चालू खाता 13586.91 करोड़ रुपये का बचत प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनः वर्गीकरण के परिणाम स्वरुप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुये यह आवश्यक हैं कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाय। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिये गये राजस्व व्यय तथा पूंजी लेखा के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित अनुमान की तुलना के साथ-साथ पुनः वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारणियों में दिखाया गया है।

****

सारणी- 3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
चालू लेखा- राजस्व-			
1-राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है	**9642095**	**11311829**	**13142870**
2- घटाइये-	**1579435**	**657442**	**816850**
(1) पूंजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क	0	0	0
(2) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय	898088	7817	4657
(3) वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति जिनकों व्यय में से घटा दिया गया	306162	315687	387424
(4) भारत सरकार से प्राप्त एवं पूंजी लेखा में अन्तरित पूंजी प्रकृति के अनुदान	258922	162651	242571
(5) निधियों से प्राप्तियां	0	0	0
(6) रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर ब्याज	21736	17862	20000
(7) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय	56948	88421	98015
(8) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की प्राप्तियां	34677	60118	59918
(9) पेंशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	2902	4886	4265
3- जोड़िये-	**-9051**	**-68079**	**-177**
(1) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रुप में दिखाई गई	-6	-4	-4
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ	-9000	0	0
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	-45	-68075	-173
4- कुल समायोजन	**-1588486**	**-725521**	**-817027**
5- आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद-9)	**8053609**	**10586308**	**12325843**

सारणी– 3.2

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
चालू लेखा– व्यय–			
1– वित्तीय विवरणों में दिखाये गये राजस्व सम्बंधी व्यय	**8937361**	**11166097**	**12579366**
2– घटाइये–	**1083101**	**1420377**	**1612037**
(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति	306162	315687	387424
(2) ऋण कम करना अथवा उसके परिहार के लिये विनियोग	486662	732269	878602
(3) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियों को प्राप्तियां न मानना	34677	60118	59918
(4) रोकड़ शेष विनियोजन खाता पर ब्याज	21736	17862	20000
(5) राजस्व लेखा में पूंजी जैसा व्यय	65134	72128	71106
(6) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू शुद्ध व्यय	56948	88421	98015
(7) पूंजी लेखा में लेखा पालन सम्बंधी अन्तरण	2955	3217	1341
(8) निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात्)	105925	125789	91366
(9) पेशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	2902	4886	4265
3– जोड़िये–	**-51**	**-68079**	**-177**
(1) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	0	0	0
(2) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रुप में दिखाई गई	-6	-4	-4
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	-45	-68075	-173
4– कुल समायोजन	**-1083152**	**-1488456**	**-1612214**
5– आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा–1, मद 1 +2)	**7854209**	**9677641**	**10967152**

सारणी– 3.3

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
पूंजी लेखा– व्यय–			
1– वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	**2509123**	**2417900**	**2434317**
2– घटाइये–	**1466590**	**520927**	**434280**
(1) वित्तीय निवेश	568502	513110	429623
(2) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	0	0	0
(3) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	0	0	0
(4) राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और सम्पत्ति की विक्रय राशि को घटाया जाना	898088	7817	4657
3– जोड़िये–	**68089**	**75345**	**72447**
(1) राजस्व लेखे से चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय	65134	72128	71106
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	2955	3217	1341
(3) वसूलियों के लिये बजट में व्यय को पूरा करना	0	0	0
(4) निधियों से अन्तरण	0	0	0
(5) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	0	0
4– कुल समायोजन	**-1398501**	**-445582**	**-361833**
5– आय–व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूंजीगत व्यय (लेखा–3, मद–3)	**1110622**	**1972318**	**2072484**

अध्याय-4

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1- गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षो का पता चलता है उनमें कुछ निम्नलिखित से सम्बंधित है:-

(क) - राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय;

(ख) - आय-व्ययक सम्बंधी साधनों में से पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण;

(ग) - राज्य सरकार की बचत;

(घ) -राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देनों में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर;

(ङ) - राज्य सरकार द्वारा आय सृजन।

(क) (1)- **कुल व्यय**-

4.1.1- वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालन व्ययों को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 134944.12 करोड़ रुपये है। यह व्यय 2010-2011 के पुनरीक्षित अनुमानों से 13141.60 करोड़ रुपये तथा 2009-2010 के वास्तविक खर्च से 38962.02 करोड़ रुपये अधिक है। व्यय के मुख्य मदों के अनुसार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.1

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- अन्तिम परिव्यय	3977327	5478111	5732787
(क)- राजकीय खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	3225812	3975861	4070418
(ख)- सकल पूंजी निर्माण (देखिये, लेखा-3, मद-1)	751515	1502250	1662369
2- राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां	4987504	6171848	7306849
(क)- चालू अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-2)	4628397	5701780	6896734
(ख)- पूंजी अन्तरण (देखिये, लेखा-3, मद-2)	359107	470068	410115
3- राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध)(देखिये, लेखा-4, मद-5)	633379	530293	454776
4- कुल व्यय (1 +2+3)	**9598210**	**12180252**	**13494412**

(क) (2) **अन्तिम परिव्यय**–

4.1.2– वर्ष 2011–2012 के लिये आय–व्ययक में 134944.12 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 57327.87 करोड़ रुपया या कुल व्यय का 42.5 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है। 2010–2011 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 2009–2010 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय क्रमशः 54781.11 करोड़ रुपये एवं 39773.27 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय अर्थात् 121802.52 करोड़ रुपये एवं 95982.10 करोड़ रुपये का क्रमशः 45.0 एवं 41.4 प्रतिशत हैं। यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिये राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते है। वर्ष 2011–2012 में कुल व्यय का शेष भाग 77616.25 करोड़ रुपये या 57.5 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगियां, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रुप में शेष अर्थ–व्यवस्था को प्रदान करने के लिये अनुमानित हैं जो कि अन्य खण्डों से उनके चालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनुपूरित करने के लिये हैं। कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 2010–2011 (पुनरीक्षित अनुमान) और 2009–2010(वास्तविक) के लिये क्रमशः 67021.41 करोड़ रुपये तथा 56208.83 करोड़ रुपये तथा तत्सम्बंधी प्रतिशत क्रमशः 55.0 एवं 58.6 है।

(ख) (1)– **सकल पूंजी निर्माण**–

4.1.3– वर्ष 2011–2012 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से कुल पूंजी निर्माण की धनराशि 16623.69 करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो अन्तिम परिव्यय 57327.87 करोड़ रुपये का 29.0 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 2010–2011 के पुनरीक्षित अनुमानों से 1601.19 करोड़ रुपये एवं 2009–2010 के वास्तविक व्यय से 9108.54 करोड़ रुपये अधिक है।

(ख) (2)– **शुद्व पूंजी निर्माण**–

4.1.4– वर्ष 2011–2012 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों के भण्डार में वृद्धि 16623.69 करोड़ रुपये होने का प्राविधान हैं। वर्ष 2010–2011 पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 15022.50 करोड़ रुपये तथा 2009–2010 के वास्तविक व्यय पर आधारित 7515.15 करोड़ रुपये थे। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्गो का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:–

सारणी–4.2

पूंजी निर्माण की मदें	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
1–भवन तथा अन्य निर्माण कार्य देखिये{लेखा–3, मद–1.1 क(1)+ख (1)तथा 1.4 क (1) +ख(1)}	381595	1583581	1614492
2– मशीन और उपकरण {देखिये, लेखा–3, मद–1.2 (1) व 1.5 (1) }	34793	77942	101363
3– तालिकागत सामान में वृद्धि (देखिये लेखा–3, मद–1.3 व 1.6)	335127	-159273	-53486
4– शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2+3)	**751515**	**1502250**	**1662369**

(ख) (3)- **शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता**-

4.1.5- राज्य सरकार द्वारा किये गये शुद्ध पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-2012 के लिये 8824.28 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह सहायता 2010-2011 के लिये 10397.11 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2009-2010 के लिये 9674.95 करोड़ रुपये (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गो का विवरण नीचे दिया गया है:-

सारणी-4.3

(लाख रुपयों में)

सहायता की मदें	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- पूंजी निर्माण के लिये अनुदान (देखिये, लेखा-3 , मद-2.1 व 2.2)	359107	470068	410115
2- पूंजी निर्माण के लिये ऋण (देखिये लेखा-4, मद-2.1)	39886	56533	42690
3- निवेश (इन्वेस्टमेंट) (देखिये, लेखा-4, मद-1)	568502	513110	429623
4- शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये कुल वित्तीय सहायता (1+2+3)	**967495**	**1039711**	**882428**

(ख) (4)- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण-

4.1.6- पूर्व प्रस्तरों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से पूंजी निर्माण के लिये वर्ष 2011-2012 में कुल मिलाकर 25447.97 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 2010-2011 के लिये 25419.61 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2009-2010 के लिये 17190.10 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी।

ये राशियां 134944.12 करोड़ रुपये, 121802.52 करोड़ रुपये और 95982.10 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की क्रमशः 18.9 प्रतिशत, 20.9 प्रतिशत तथा 17.9 प्रतिशत है। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गयी है:-

सारणी-4.4

(लाख रुपयों में)

शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये आय-व्ययक सम्बंधी संसाधन	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (सारणी-4.2, मद-4)	751515	1502250	1662369
2- शेष अर्थ व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता (सारणी-4.3, मद-4)	967495	1039711	882428
3-आय-व्ययक सम्बंधी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (1 + 2)	**1719010**	**2541961**	**2544797**

(ग) **राज्य सरकार की बचतः-**

4.1.7- राज्य सरकार द्वारा 2011-2012 में राजकीय शुद्ध लाभ 13587.02 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2010-2011 के पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध लाभ 9086.78 करोड़ रुपये तथा 2009-2010 में वास्तविक शुद्ध लाभ 1994.11 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है:-

सारणी-4.5

(लाख रुपयों में)

बचत	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- चालू खाते की बचत (देखिये, लेखा-3, मद-4.1)	199400	908667	1358691
2- अवमूल्यन के लिये व्यवस्था (देखिये, लेखा-3, मद-4.2)	11	11	11
3- ग्रहीत लाभ (देखिये लेखा-3, मद-4.3)	0	0	0
4- राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3)	199411	908678	1358702
5- नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिये, लेखा-3)	0	0	0
6- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5)	**199411**	**908678**	**1358702**

(घ) **चालू प्राप्तियां (करेन्ट रिसीट्स):-**

4.1.8- वर्ष 2011-2012 के लिये चालू प्राप्तियों के आय-व्ययक अनुमान 123258.43 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2010-2011 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 105863.08 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2009-2010 की वास्तविक प्राप्तियां 80536.09 करोड़ रुपये थी। इन चालू प्राप्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है:-

सारणी-4.6

(लाख रुपयों में)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1-करों से प्राप्तियां (देखिये, लेखा-1, मद-5)	6514735	8169929	9852451
2- उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय (देखिये, लेखा-1, मद-6)	12734	63295	68188
3- परिवारों से अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-7)	64752	17463	6681
4- राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिये, लेखा-1, मद-8)	1461388	2335621	2398523
5- चालू प्राप्तियां (1+2+3+4)	**8053609**	**10586308**	**12325843**

(ड.) **चालू खर्च (करेन्ट आउट गोंइग)**-

4.1.9- ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा वर्ष 2011-2012 के लिये आय- व्ययक में कुल 109671.52 करोड़ रुपये के चालू खर्चो की व्यवस्था की गई

यह व्यवस्था 2010-2011 के लिये 96776.41 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2009-2010 के लिये 78542.09 करोड़ रुपये (वास्तवकि व्यय) की थी जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है:-

सारणी-4.7

(लाख रुपयों में)

चालू व्यय	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	3225812	3975861	4070418
2- अन्तरण अदायगियां (देखिये, लेखा-1, मद-2)	4628397	5701780	6896734
3- चालू खर्च (1 +2)	**7854209**	**9677641**	**10967152**

(च) (1)- **आमदनी में घाटा (इन्कम डिफिसिट)**-

4.1.10- शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करता हैं, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.8

(लाख रुपयों में)

शुद्ध निवेश एवं बचत	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- राज्य सरकार के शुद्व पूंजी निर्माण में निवेश (सारणी-4.2, मद-4)	751515	1502250	1662369
2- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारणी-4.5, मद-6)	199411	908678	1358702
3- राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)	**552104**	**593572**	**303667**

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूंजी अन्तरण के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लिये जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा वाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

(च) (2)- **राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकतायें**-

4.1.11- उपर्युक्त घाटों में शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसम्पत्तियों में लेन-देन से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एवं लेखा-4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। वर्ष 2011-2012 के लिये यह घाटा 9259.87 करोड़ रुपये है जो 2010-2011के पुनरीक्षित अनुमानों से 5052.95 करोड़ रुपये तथा 2009-2010 के वास्तविक घाटे से 3596.81 करोड़ रुपये कम है, जैसा कि निम्न सारणी से प्रकट है-

सारणी–4.9

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
1–राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिये, सारणी–4.8, मद–3)	552104	593572	303667
2–शुद्ध पूंजी अन्तर ण (देखिये, लेखा–3, मद–5 (–) मद –2)	-100185	-307417	-167544
3–वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन–देन और अन्तरणों पर घाटा (1–2) (देखिये, लेखा–3,मद–6)	652289	900989	471211
4–वित्तीय परिसम्पत्ति (एसेट्स)में शुद्ध वृद्धि (देखिये, लेखा–4, मद–5)	633379	530293	454776
5– घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)	**1285668**	**1431282**	**925987**

(छ) (1)–**वित्त व्यवस्था के स्त्रोत** –

4.1.12– उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे दी सारणी में दिखाई गई है–

सारणी–4.10

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
1– शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)	1295994	1247728	975660
1.1– स्थायी ऋण (शुद्ध) (परमानेंट डेट)	1142144	1124262	1288198
1.2– केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (शुद्ध)	-91721	-1929	-31012
1.3– अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफण्डेड डेट)	387011	318107	380484
1.4– अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट्स)	431624	259217	298428
1.5– अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेट्स,डिपाजिट्स, रेमिटेन्सेज)	-572092	-451929	-960438
1.6– अन्तर्राज्जीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	-972	0	0
2– घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिपाजिट्स फाइनेन्सिग)	-10326	183554	-49673
2.1– अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इनक्रीज इनफलोटिंग डेट)	0	0	0
2.2– रोकड़ बाकी से निकास (विद्ड्राल)	-10326	183554	-49673
3– योग (1+2) (इेखिये सारणी–4.9, मद–5)	**1285668**	**1431282**	**925987**

मद–2 के अन्तर्गत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार से आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देनों का मुद्रा पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रुप से प्रकट करती है।

(छ) (2)–**वित्तीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ**–

4.1.13– वर्ष 2011–2012 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 0.00 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया हैं। 2010–2011 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 0.00 करोड़ रुपये आंका गया है। 2009–2010 में वास्तविक लाभ –90.00 करोड़ रुपये था।

इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य–प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी नाप का कार्य–चलित व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरेक द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उनके बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है:–

सारणी–4.11

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय–व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1– कुल प्राप्ति यां (देखिये, लेखा–2, मद–12)	358229	499909	574203
2– कार्य चालक व्यय (आपरेटिंग एक्सपेन्सेंज) (देखिये, लेखा–2, मद–1 से 6)	367229	499909	574203
3– शुद्ध लाभ (1–2)	**-9000**	**0**	**0**

(ज) **राज्य आय में अंशदान:**–

4.1.14– राज्य सरकार की आय–व्ययक सम्बंधी कार्य वाहियों से 2011–2012 में कुल 35306.93 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान किया गया है। यह आय 2010–2011 में 34130.30 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2009–2010 के लिये 24754.59 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल आय का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:–

सारणी–4.12

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
1– सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन	1900488	2259607	2330544
2– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन	**286222**	**425972**	**459853**
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यो की मजदूरी सम्बंधी 50 प्रतिशत भाग सहित)	260534	365843	399924
(ब) ब्याज	34677	60118	59918
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गये लाभ नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अवमूल्यन व्यवस्था का अतिरक शामिल है)	-8989	11	11
3– निर्माण कार्यो पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन सम्बंधी भाग [लेखा–3 की मद–1.1 क (1) व 1.4 क (1)का एक– तिहाई भाग तथा 1. 1(ख) (1) व 1.4 (ख) (1) का आधा भाग]	288749	727451	740296
4– योग (1+2+3)	**2475459**	**3413030**	**3530693**

****

अध्याय-5

लेखाओं पर टिप्पणियां

लेखा-1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-सरकारी प्रशासन का चालू खाता

5.1- इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाये गये है। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गये हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रुप में दिखलाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को दिखलाता हैं। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियां (ट्रांस्फर पेमेन्ट) सम्मिलित है। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय "डिसपोजिविल इनकम" को अप्रत्यक्ष रुप से वृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिये विभिन्न करों, प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों, अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाले सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बंधी व्यय और चालू अन्तरण को पूरा करने के उपरान्त राजस्व का अधिशेष पूंजी निर्माण के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1.1 (क)- "मजदूरी और वेतन" में कार्मिको के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित है। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बंधी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहां यात्रा और अन्य भत्ते एकमुश्त दिये गये है वहां उनको दो सम्भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन तथा पेंशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1.1 (ख)- "पेंशन" के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा पारिवारिक पेंशन तथा पेंशनों की राशि मूल्य आदि सम्मिलित है।

मद 1.2- "वस्तुओं और सेवाओं" में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे- लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बंधी व्यय, विद्युत एवं जल सम्बंधी व्यय, वर्दी सम्बंधी व्यय, यात्रा व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बंधी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बंधी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकायें, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बंधी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचलन व्यय सम्बंधी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बंधी व्यय, प्रासंगिक व्यय, शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन की खपत सम्बंधी व्यय मानकर इस मद में शामिल कर लिया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया "वस्तुओं और सेवाओं" का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2– "अन्तरण अदायगियां"–आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं– 1–खपत सम्बंधी व्यय, 2–पूंजीगत व्यय, 3–शेष अर्थ–व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूंजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूंजी निर्माण का स्वरुप लेते हैं। इस लिये आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण से भिन्न माना गया है) चालू अन्तरण को निम्न भागों में बांटा गया है– ब्याज का भ्ाुगतान, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रुप से अन्य चालू अन्तरण जो प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ाते है। कभी–कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है परन्तु वहां पर भुगतान घटाये नहीं गये है।

मद 2.1– "ब्याज" सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज तथा लेखा–2 मद–5 में दिखलाये गये वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते है। रोकड़ शेष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योकि यह अन्तर विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नही है।

मद 2.2– "अनुदान" को चार वर्गो में विभक्त किया गया हैं यथा– (1)स्थानीय निकायों को, (2) सरकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को ''अन्य संस्थाओं'' के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान आते है।

मद 2.3– "राज सहायता"–चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग, सरकार से प्राप्त करते है उनका रुप या तो उत्पादको को सीधे भुगतान के रुप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों या क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रुप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रुप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाये रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये हों–''राज सहायता'' के अन्तर्गत आते है1 विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रुप में अन्तरित किया जाता है। वानिकी, उद्योग, सिंचाई तथा दुग्ध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई हानियों को राज सहायता माना गया है।

मद 2.4– "अन्य चालू अन्तरण"– इस मद में परिवारों के खाते में किये गये भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे– विशिष्ट तथा प्रशासनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तिया, अकाल पीड़ित व्यक्तियों को निशुल्क सहायता, पुरस्कार आदि आते हैं।

मद 3– "चालू खाते की बचत"– चालू खाते के अर्न्तगत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद 5–"कर राजस्व"– को दो भागों– (1)''प्रत्यक्ष कर'' व (2)''अप्रत्यक्ष कर'' में वर्गीकृत किया गया। ''प्रत्यक्ष कर'' में केन्द्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का

भाग कृषि सम्पत्ति पर कर, भू राजस्व तथा नगरीय भूमिकर सम्मिलित है। "अप्रत्यक्ष कर" में उत्पादकों पर उनके द्वारा किये गये उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्च में सम्मिलित होते है, अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के सामान्य उदाहरण निम्न है-आयात, निर्यात् व उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर, बाजीकर (वेटिंग टैक्सेज),व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-सम्पत्ति एवं भूमिकर ।

मद 6-"सम्पत्ति और उद्यमों से आय"-इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्तियां, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7-"परिवारों से अन्तरण" इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा सामाजिक सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यत: सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता हैं, सरकारी एजेन्सी द्वारा नियन्त्रित व्यय नियन्त्रित कार्यो और उन सेवाओं हेतु जिनके लिये कोई और प्राइवेट क्षेत्र समतुल्य उपलब्ध नही है, के सम्बंध में हैं। ऐसी सेवायें अधिकांश रुप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण जन्म-मृत्यु, विवाह के लिये पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुर्माने और दण्ड आदि हैं । जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाये गये है।

मद 8-"राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां"-इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियों जो कि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संगत होती है, सम्मिलित की जाती है। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत की आर्थिक रुप से घोषित करने हेतु उपयोग किये जाते हैं, उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा-2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5.2- यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरणों को प्रकट करता हैं। प्रतिष्ठान मुख्यत: विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुये है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अर्न्तवर्ती व्यय (जैसे कच्चा माल एवं ईधन सम्बंधी मूल्य इत्यादि) और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किये गये अन्तिम परिव्यय से बिल्कुल भिन्न है। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हानि के विवरण को प्रकट करता है। इनमें सन्तुलनकारी मद अधिशेष है जिससे लेखा-1 प्राप्ति पक्ष को अग्रनीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है:-

(1) वन,

(2) सिंचाई,

(3) मुद्रणालय,

(4) उद्योग–

(क)– सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाला, लखनऊ।
(ख)– अन्य

(5) दुग्ध सम्पूर्ति

इन विभागों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, वस्तुओं और सेवाओं, किराया, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिये व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है राजकीय प्रशासन को वित्तीय प्रबन्ध हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन–देन के सभी पहलुओं का परावर्तन प्रस्तुत लेखाओं में नही होता। आय–व्ययक के लेखा पालन का रुप वित्तीय वर्ष की अवधि में मुख्यत: वास्तविक रोकड़ प्राप्तियां तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नही डालता। इसके अतिरिक्त इसमें अर्जित और देय धनराशियों का भी संकेत नही रहता है। इस प्रकार रोकड़ाधार पद्धति (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को समस्त चित्रण करने में पूर्णत: समर्थ नही है। इसलिये इसका वास्तविक परावर्तन आय–व्ययक में तथा इसके फलस्वरुप आर्थिक वर्गीकरण में नही हो पाता।

लेखा–3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.3– यह लेखा शेष अर्थ–व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिसम्पत्तियों (फिजिकल ऐसेट्स) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से सम्बंधित है। पूंजी निर्माण पर सम्पूर्ण परिव्यय राष्ट्रीय उत्पत्ति पर एकभार है जिसको वहन करने के लिये सरकार को साधनों की खोज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है इनमें सन्तुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्सारण से पूरा करना होता है।

मद–1– "सकल पूंजी निर्माण"–सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया गया है–

(1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य
(2) मशीन एवं उपकरण

प्रत्येक विभाग को निम्न उपवर्गो में वर्गीकृत किया गया–

(क) नया परिव्यय
(ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)– इन मदों में भवन निर्माण कार्यो, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भवनों के मूल निर्माण–कार्य दिखलाये गये है।

मद 1.1 (ख) व 1.4 (ख)– इन मदों के अन्तर्गत परिवहन एवं दूर संचार, विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, बांध एवं जल निकास, जल पूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण तथा अन्य निर्माण कार्यो पर सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की परियोजनाओं के सम्बंध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अंशमान कर तद्नुसार लेखा–3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण–कार्यो के अनुपात में बांट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5– "मशीनें और उपकरणों" मशीनों और उपकरण, उपस्कर एवं निरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) व साधित्र (आपरेटस) औजार एवं संयत्र (टूल्स एवं प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6–"तालिकागत समान में वृद्वि(इनकीज इन इन्वेन्द्रीज)"– (1) निर्माण सम्बंधी सामान और (2) अन्न उवर्रको इत्यादि भण्डार को शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद–2– पूंजी अन्तरण में स्थानीय निकायों तथा औरों की पूंजी निर्माण के लिये अनुदान उदाहरणार्थ पुनः ग्रहीत भूमि (रिज्यूम्ड लैण्ड्स) के बदले में पेंशन, वक्फी तथा न्यासी (ट्रस्ट) की देय वार्षिक वृत्तियां, अधिकतम् जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर इत्यादि सम्मिलित है।

मद–4 व 5–"पूंजी निर्माण" हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा 1 व 2 से अग्रनीत चालू खातेदार पर कुल बचत, सम्पदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित है। सम्पदा शुल्क को इस धारणा पर कि यह पूंजी देय है, इस सेवा में शामिल किया गया है।

लेखा–4
वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन
सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4– यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसम्पत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन–देन (अर्थात् शेयरों में लगाई पूंजी) और शेष अर्थ–व्यवस्था के लिये स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम घनराशि सम्मिलित है। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ–व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोन्नत के लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में सन्तुलनकारी मद घाटा है जिसकी लेखा–3 के घाटे में जोड़ने से सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ वाकी में समायोजन द्वारा होती है।

मद–1– "निवेशों में" राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपक्रमों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगााई गई धनराशि आती है।

मद–2.1– "पूंजी निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम" से पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे

सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जलकलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

मद–2.2– "अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों" में चालू खपत के लिये कृषक को ऋण, मकानों की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के क्रय हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित है।

लेखा–5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5– यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है। आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है। खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरेक, वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय के कारण होती है। लेखा–3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ओढ़े गये दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़वाकी यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है।

इन घाटो की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्ड्स) एवं निवेशों (डिपाजिट्स) से तथा शेष अर्थ–व्यवस्था से खींच कर की जाती है।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रुप में अल्प कालिक ऋण (फ्लोंटिंग डेट्स) अनिधिबद्ध ऋण (अनफण्डेड डेट्स) ऋणों और विप्रेषित राशियों (रेमीटेन्सेज) को शुद्ध रुप में दिखाया जाता है।

लेखा–6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5.6– यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन–देनों का उनके रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुये लेखा–3, 4 व 5 के सम्बंध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है। लेखा–3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी वास्तविक लेन–देनों के सम्बंध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा–4 व 5 क्रमशः वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के सम्बंध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते है।

****

भाग-2

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

अध्याय-6

(।) आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

6.1- इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों को दो विभिन्न वर्गीकरणों का एक ही अन्तः वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है । यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन-जैसे- कृषि के लिये व्ययों को आर्थिक वर्गो अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तरणों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे- पूंजी निर्माण के लिये व्यय को विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है। राजकीय आय-व्ययक सम्बंधी व्ययों का ऐसा अन्तः वर्गीकरण कई वर्षो की अवधि के कार्यक्रम को चित्रित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खण्ड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रुप से बढ़ जाती है।

(।।) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त

6.2- लेखा पालन के उद्देश्य से धनराशि को खर्च करते समय व्यय के तात्कालिक मद जैसे- मजदूरी और वेतन, वस्तुएं और सेवाएं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार व्यय को नियत किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक आकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण का व्यय तात्कालिक अथवा अल्पकालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करता है जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किये गये सार्वजनिक व्यय के सम्बंध में जानकारी कराता है।

6.3- कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामर्शियल अण्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नही किये गये है क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेंट सेक्टर) से बाहर किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तर्वर्ती व्यय (इण्टरमीडिएट एक्सपेण्डीचर) है जो उत्पादक व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किये गये व्यय का है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में सामान्यतः प्राप्तियां सम्मिलित नही है, केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित है जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती है। इनके उदाहरण है- विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वसूलियां, अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित है, सामान्य संहत निधि के अंश समझे जाते है और उनमें से सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था की जाती है।

6.4- आय-व्ययक में दिये गये वर्गीकरण का पूर्णतया अनुसरण न करते हुये व्यय की सम्पूर्ण मदों को कार्य के आधार पर व्यापक वर्गो में वर्गवद्ध किया गया है। इस प्रकार कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्ययों को शिक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया हैं।

आय-व्ययक में यह चाहे कही भी दिखाया गया हो। इस सिद्वान्त का अपवाद वे शिक्षा सम्बंधी कार्य-कलाप, जो सरकार की अन्य सेवाओं के अभिन्न अंग है, जैसे "पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय" पुलिस शीर्षक में तथा "बाल सुधार विद्यालय" कारागार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये है। पुनः आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे-सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, प्रकीर्ण सेवायें, सामान्य सेवायें प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बंधी संगठन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षक के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बंधित व्ययों का सम्बंधित कार्य भार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये गये कार्यो पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है।

6.5- उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदो को कार्य के आधार पर मुख्यतः निम्न नौ भागों में बांटा गया है-

(1) सामान्य सेवायें
(2) सुरक्षा
(3) शिक्षा
(4) स्वास्थ्य
(5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें
(6) आवास एवं सामुदायिक सेवायें
(7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
(8) आर्थिक सेवायें
(9) अन्य सेवायें

इन सेवाओं की विषय-वस्तु का उल्लेख अध्याय-7 में किया गया है।

(।।।) सारणी

6.6- सारणी 6.1, 6.2 तथा 6.3 में उत्तर प्रदेश के क्रमशः वर्ष 2009-2010(वास्तविक), 2010-2011 (पुनरीक्षित) तथा 2011-2012 (आय-व्ययक) के लिये व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सारणियों में व्यय की आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है। कार्य वर्गीकरण के मुख्य नौ भाग है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय है। कुल व्यय में वित्तीय परिसम्पत्ति में लगाई गई पूंजी तथा सार्वजनिक ऋण की अदायगी भी शामिल है, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों को शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों को शुद्ध रुप में प्रकट किया जाता। क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिये गये ऋण के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है इस लिये इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.7- सारणी 6.4 व 6.6 में क्रमशः आर्थिक वर्गो तथा कार्य सम्बंधी वर्गो के कुल व्यय के वितरण तथा 6.5 व 6.7 में क्रमशः उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है। सारणी 6.8 में विकासगत तथा अविकासगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं।

6.8- आगे के पृष्ठों पर सारणी दी गई है।

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**1652676**	**20205**	**1632471**	**0**	**4277**	**71567**	**336003**	**2044318**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1651779**	**19997**	**1631782**	**0**	**3377**	**69822**	**336003**	**2040984**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	1126115	7805	1118310			4747		1123057
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	263487	747	262740			5193		267933
1.1.3- न्याय	106689	181	106508			181		106689
1.1.4- कारागार	33325	85	33240			2		33242
1.1.5- पुलिस	22607	3487	19120			227		19347
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	99556	7692	91864		3377	59472	336003	490716
1.2- सामान्य शोध	897	208	689		900	1745		3334
2- सुरक्षा	**49200**	**741**	**48459**			**2985**		**51444**
3- शिक्षा	**310490**	**169034**	**141456**	**0**	**0**	**1803248**	**0**	**1944704**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	60214		60214			440		60654
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	250276	169034	81242			1802808		1884050
4- स्वास्थ्य	**385084**	**7127**	**377957**	**0**	**0**	**4827**	**0**	**382784**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	62178		62178			3465		65643
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	322906	7127	315779			1362		317141
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**523927**	**8308**	**515619**	**0**	**39444**	**364930**	**0**	**919993**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	520596	8308	512288		39050	163446		714784
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	3331		3331		394	201484		205209
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**68202**	**2782**	**65420**		**36194**	**84070**		**185684**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**12501**	**64755**	**-52254**			**2347**		**-49907**

– 6.1

2009–2010 (वास्तविक व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-849272	**10100**	**-2175**	**0**	**235**	**377**	**0**	**0**	**0**	**-840735**	**1203583**
-853249	**10085**	**-2175**	**0**	**235**	**377**	**0**	**0**	**0**	**-844727**	**1196257**
10187	2863	-2175							10875	1133932
310	745								1055	268988
	570								570	107259
17003	182								17185	50427
17269	4741			235					22245	41592
-898018	984				377				-896657	-405941
3977	15								3992	7326
0	**29**								**29**	**51473**
45635	**4766**	**0**	**0**	**48458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98859**	**2043563**
2081	2053			673					4807	65461
43554	2713			47785					94052	1978102
77649	**11382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**89081**	**471865**
	165								165	65808
77649	11217						50		88916	406057
67913	**1783**	**0**	**0**	**112495**	**500**	**0**	**0**	**0**	**182691**	**1102684**
17339	1276			7977	500				27092	741876
50574	507			104518					155599	360808
216054	**55**			**169613**		**18890**	**8751**		**413363**	**599047**
32307	**49**				**20**				**32376**	**-17531**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**522358**	**33210**	**489148**	**0**	**646455**	**89239**	**0**	**1224842**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	24244	1961	22283		33356	2212		57851
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	207304	6350	200954		393895	5887		600736
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	15448	22522	-7074		15851	2530		11307
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	2	454	-452		164545	76105		240198
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0		0					0
8.6- परिवहन एवं संचार	259381	543	258838		8866	2494		270198
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	15979	1380	14599		29942	11		44552
9- अन्य सेवायें	**7536**	**0**	**7536**	**1142433**	**0**	**378**	**0**	**1150347**
9.1- विपदा सहायता	20		20			345		365
9.2- अन्य विविध कार्य	7516		7516	1142433		33		1149982
योग	**3531974**	**306162**	**3225812**	**1142433**	**726370**	**2423591**	**336003**	**7854209**

– 6.1

2009–2010 (वास्तविक व्यय)

पूंजीगत व्यय **(लाख रुपयों में)**

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण		ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
791309	**6629**	**337302**	**0**	**28306**	**567605**	**0**	**66494**	**0**	**1797645**	**3022487**
20	164						14407		14591	72442
272762	3814	-31879			1264		118		246079	846815
777	902			1510	16746		49417		69352	80659
2142				26796	509237		49		538224	778422
									0	0
515608	1523	2011					801		519943	790141
	226	367170			40358		1702		409456	454008
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670863**	**670863**	**1821210**
									0	365
								670863	670863	1820845
381595	**34793**	**335127**	**0**	**359107**	**568502**	**18890**	**75295**	**670863**	**2444172**	**10298381**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**1808887**	**48564**	**1760323**	**0**	**5544**	**105621**	**443489**	**2314977**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1807473**	**48542**	**1758931**	**0**	**4424**	**103846**	**443489**	**2310690**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	184412	18209	166203			1006		167209
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	180601	6222	174379			5301		179680
1.1.3- न्याय	164344	2879	161465			300		161765
1.1.4- कारागार	40238	86	40152			2		40154
1.1.5- पुलिस	935007	21131	913876			831		914707
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	302871	15	302856		4424	96406	443489	847175
1.2- सामान्य शोध	1414	22	1392		1120	1775		4287
2- सुरक्षा	**49481**	**100**	**49381**			**4180**		**53561**
3- शिक्षा	**441750**	**232212**	**209538**	**0**	**0**	**2223578**	**0**	**2433116**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	66342		66342			353		66695
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	375408	232212	143196			2223225		2366421
4- स्वास्थ्य	**488824**	**2822**	**486002**	**0**	**0**	**6440**	**0**	**492442**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	100877		100877			3570		104447
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	387947	2822	385125			2870		387995
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**683420**	**13806**	**669614**	**0**	**45988**	**483845**	**0**	**1199447**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	655234	13806	641428		44788	233432		919648
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	28186		28186		1200	250413		279799
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**76751**	**10**	**76741**		**35841**	**165400**		**277982**
7- संस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**17191**	**5**	**17186**			**4104**		**21290**

– 6.2

2010–2011 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94736	**35540**	**0**	**0**	**509**	**500**	**0**	**0**	**0**	**131285**	**2446262**
93474	**35519**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**129493**	**2440183**
8520	8943								17463	184672
-2496	2186								-310	179370
-3	312								309	162074
46927	123								47050	87204
43522	23636								67158	981865
-2996	319				500				-2177	844998
1262	21			509					1792	6079
	1943	**0**							**1943**	**55504**
82366	**5540**	**0**	**0**	**98448**	**100**	**0**	**0**	**0**	**186454**	**2619570**
4384	2332								6716	73411
77982	3208			98448	100				179738	2546159
69576	**15569**	**0**	**0**	**1978**	**0**	**0**	**10**	**0**	**87133**	**579575**
	366								366	104813
69576	15203			1978			10		86767	474762
93626	**6365**	**0**	**0**	**136701**	**510**	**0**	**0**	**0**	**237202**	**1436649**
46801	5365			12501	510				65177	984825
46825	1000			124200					172025	451824
163372	**762**			**206354**		**22500**	**11157**		**404145**	**682127**
133146	**130**								**133276**	**154566**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**721948**	**18168**	**703780**	**0**	**804283**	**77723**	**0**	**1585786**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	41279	2113	39166		30547	2373		72086
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	277225	7611	269614		538440	15635		823689
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	28077	618	27459		23438	289		51186
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	8	6500	-6492		190868	58939		243315
8.5- परमाणविक ऊर्जा								0
8.6- परिवहन एवं संचार	355371	780	354591		9000	476		364067
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	19988	546	19442		11990	11		31443
9- अन्य सेवायें	**3296**	**0**	**3296**	**1279364**	**0**	**16380**	**0**	**1299040**
9.1- विपदा सहायता	87		87			1962		2049
9.2- अन्य विविध कार्य	3209		3209	1279364		14418		1296991
योग	**4291548**	**315687**	**3975861**	**1279364**	**891656**	**3087271**	**443489**	**9677641**

– 6.2

2010–2011 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण		ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण- कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
945759	**12091**	**-159273**	**0**	**26078**	**512000**	**0**	**73769**	**0**	**1410424**	**2996210**
19	109						49012		49140	121226
334345	7011	6			2000				343362	1167051
931	276			2215	300		23054		26776	77962
2000	1			23863	473100				498964	742279
									0	0
608464	1961						1301		611726	975793
	2733	-159279			36600		402		-119544	-88101
1000	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**816983**	**817985**	**2117025**
1000	2								1002	3051
								816983	816983	2113974
1583581	**77942**	**-159273**	**0**	**470068**	**513110**	**22500**	**84936**	**816983**	**3409847**	**13087488**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**1873493**	**48574**	**1824919**	**0**	**4074**	**157520**	**530825**	**2517338**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1872141**	**48551**	**1823590**	**0**	**2500**	**156163**	**530825**	**2513078**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	199761	15221	184540			1242		185782
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	204451	4222	200229			6435		206664
1.1.3- न्याय	184827	3163	181664			301		181965
1.1.4- कारागार	41773	96	41677			5		41682
1.1.5- पुलिस	975712	25699	950013			544		950557
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	265617	150	265467		2500	147636	530825	946428
1.2- सामान्य शोध	1352	23	1329		1574	1357		4260
2- सुरक्षा	**53869**		**53869**	**0**	**0**	3825	**0**	**57694**
3- शिक्षा	**465554**	**301049**	**164505**	**0**	**4433**	**2912006**	**0**	**3080944**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	76335		76335			325		76660
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	389219	301049	88170		4433	2911681		3004284
4- स्वास्थ्य	**490357**	**2161**	**488196**	**0**	**0**	**3521**	**0**	**491717**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	75324		75324			84		75408
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	415033	2161	412872			3437		416309
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**701981**	**15216**	**686765**	**0**	**10715**	**548918**	**0**	**1246398**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	685934	15216	670718		9515	287169		967402
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	16047		16047		1200	261749		278996
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**100760**	**15**	**100745**	**0**	**38456**	**168073**	**0**	**307274**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**17555**	**1**	**17554**	**0**	**0**	**3518**	**0**	**21072**

– 6.3

2011–2012 (आय–व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103508	**26255**	**0**	**0**	**1633**	**500**	**0**	**0**	**0**	**131896**	**2649234**
100207	**26199**	**0**	**0**	**1584**	**500**	**0**	**0**	**0**	**128490**	**2641568**
58302	3326			584					62212	247994
-1127	1401								274	206938
-3	1546								1543	183508
-1	123								122	41804
45531	19480								65011	1015568
-2495	323			1000	500				-672	945756
3301	56			49					3406	7666
0	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**57773**
114156	**9406**	**0**	**0**	**44934**	**1213**	**0**	**0**	**0**	**169709**	**3250653**
2518	683								3201	79861
111638	8723			44934	1213				166508	3170792
82721	**14550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97271**	**588988**
	119								119	75527
82721	14431								97152	513461
90354	**2270**	**0**	**0**	**86500**	**3681**	**0**	**0**	**0**	**182805**	**1429203**
56842	951			6500	3681				67974	1035376
33512	1319			80000					114831	393827
162387	**1357**	**0**		**165625**	**0**	**14833**	**11104**	**0**	**355306**	**662580**
90882	**123**	**0**		**27621**	**44**	**0**	**0**	**0**	**118670**	**139742**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

	चालू व्यय							
कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**749446**	**20408**	**729038**	**0**	**1000455**	**75663**	**0**	**1805156**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	43548	2518	41030		32542	2570		76142
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	270935	9360	261575		630779	22744		915098
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	31044	625	30419		24454	618		55491
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	9	6229	-6220		301023	42590		337393
8.5- परमाणविक ऊर्जा			0					0
8.6- परिवहन एवं संचार	383308	801	382507			7130		389637
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	20602	875	19727		11657	11		31395
9- अन्य सेवायें	**4827**	**0**	**4827**	**1418336**	**0**	**16396**	**0**	**1439559**
9.1- विपदा सहायता	52		52			1996		2048
9.2- अन्य विविध कार्य	4775		4775	1418336		14400		1437511
योग	**4457842**	**387424**	**4070418**	**1418336**	**1058133**	**3889440**	**530825**	**10967152**

– 6.3

2011–2012 (आय–व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
901084	**47221**	**-53486**	**0**	**83802**	**424185**	**0**	**66393**	**0**	**1469199**	**3274355**
26	154						49022		49202	125344
271401	42237				1000				314638	1229736
907	323			2190			15431		18851	74342
				81612	410700				492312	829705
									0	0
628750	4318				4000		1301		638369	1028006
	189	-53486			8485		639		-44173	-12778
69400	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835625**	**905127**	**2344686**
	2								2	2050
69400	100							835625	905125	2342636
1614492	**101363**	**-53486**	**0**	**410115**	**429623**	**14833**	**77497**	**835625**	**3430062**	**14397214**

सारणी- 6.4

आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- चालू व्यय	**7854209**	**9677641**	**10967152**
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	3225812	3975861	4070418
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	1142433	1279364	1418336
1.3- राज सहायतायें	726370	891656	1058133
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	2423591	3087271	3889440
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	336003	443489	530825
2- पूंजीगत व्यय	**2444172**	**3409847**	**3430062**
2.1- कुल स्थिर पूंजी निर्माण	**416388**	**1661523**	**1715855**
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	381595	1583581	1614492
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	34793	77942	101363
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	**335127**	**-159273**	**-53486**
2.3- पूंजीगत अन्तरण	**359107**	**470068**	**410115**
2.3.1- स्थानीय निकायों को	0	0	0
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	359107	470068	410115
2.4- पूंजी शेयरों में निवेश	**568502**	**513110**	**429623**
2.5- ऋण एवं अग्रिम	**94185**	**107436**	**92330**
2.5.1- स्थानीय निकायों को	18890	22500	14833
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	75295	84936	77497
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	**670863**	**816983**	**835625**
योग	**10298381**	**13087488**	**14397214**

राज्य सरकार के चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय

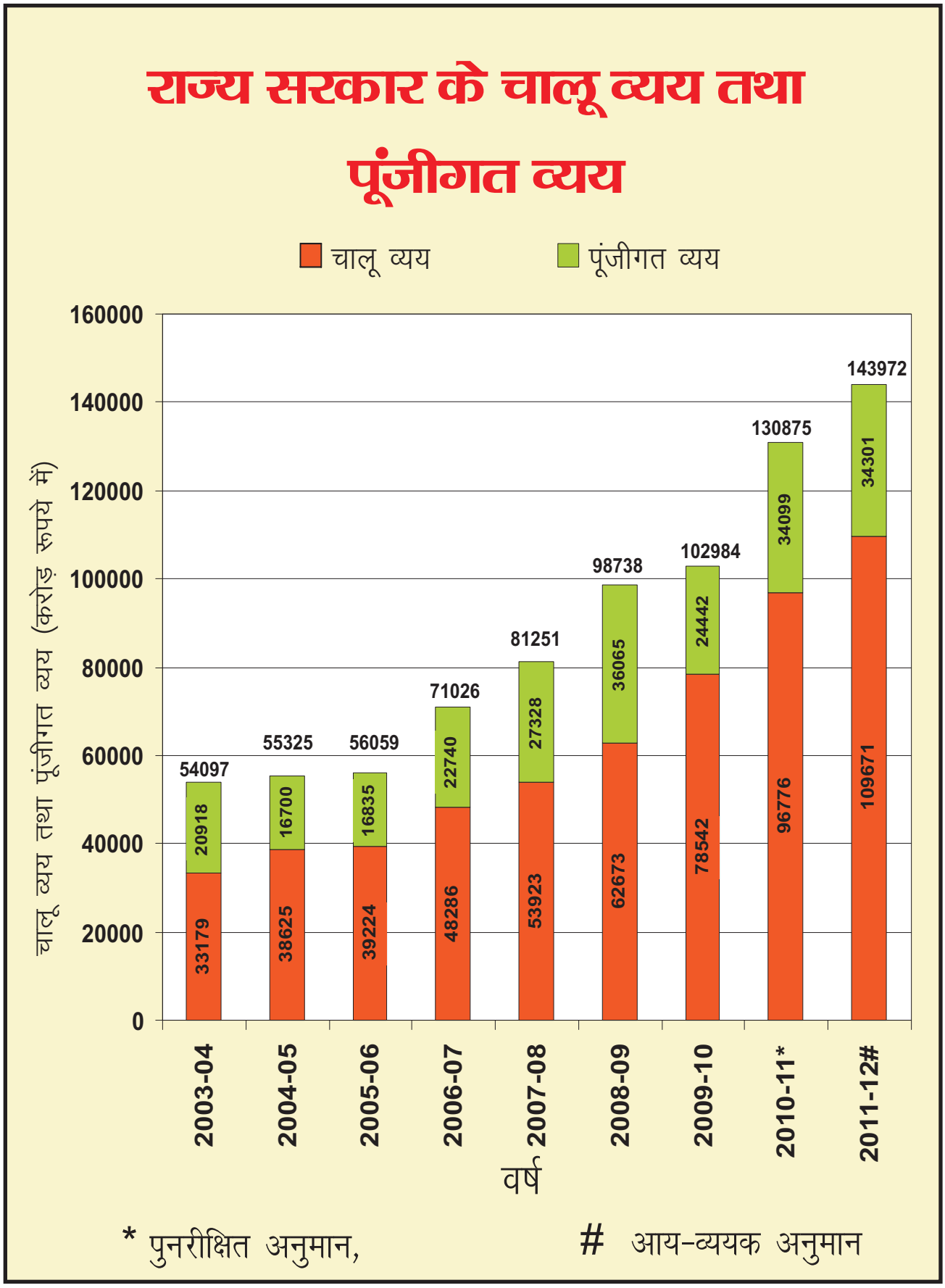

* पुनरीक्षित अनुमान,

\# आय-व्ययक अनुमान

राज्य सरकार के आय- व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

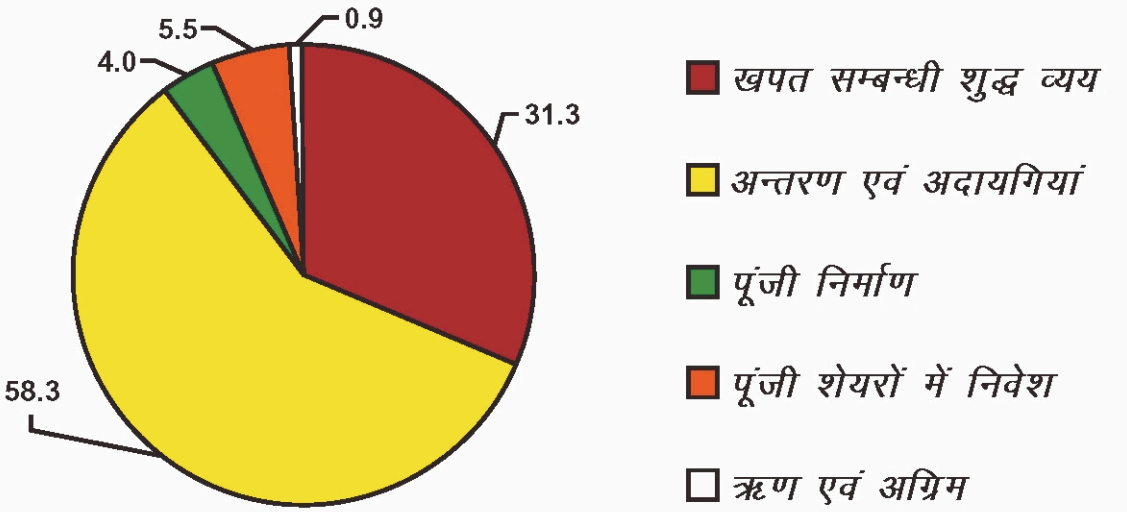

वास्तविक
2009-10

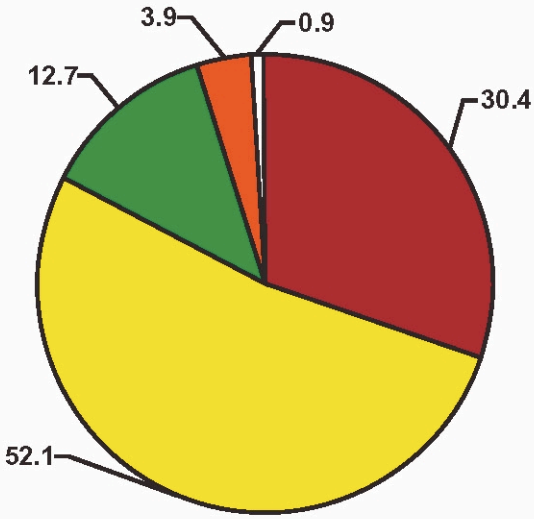

पुनरीक्षित अनुमान
2010-11

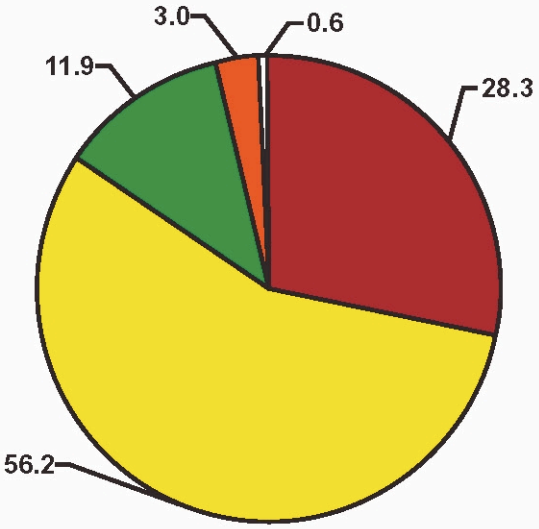

आय–व्ययक अनुमान
2011-12

सारणी- 6.5

आर्थिक वर्गीकरण- प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- चालू व्यय	**76.3**	**73.9**	**76.2**
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	31.3	30.4	28.3
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	11.1	9.7	9.9
1.3- राज सहायतायें	7.1	6.8	7.3
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	23.5	23.6	27.0
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	3.3	3.4	3.7
2- पूंजीगत व्यय	**23.7**	**26.1**	**23.8**
2.1- कुल स्थिर पूंजी निर्माण	**4.0**	**12.7**	**11.9**
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	3.7	12.1	11.2
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	0.3	0.6	0.7
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	**3.3**	**-1.2**	**-0.4**
2.3- पूंजीगत अन्तरण	**3.5**	**3.6**	**2.9**
2.3.1- स्थानीय निकायों को	0.0	0.0	0.0
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	3.5	3.6	2.9
2.4- पूंजी शेयरों में निवेश	**5.5**	**3.9**	**3.0**
2.5- ऋण एवं अग्रिम	**0.9**	**0.9**	**0.6**
2.5.1- स्थानीय निकायों को	0.2	0.2	0.1
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	0.7	0.7	0.5
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	**6.5**	**6.2**	**5.8**
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

सारणी- 6.6

आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4
1- सामान्य सेवायें	**1203583**	**2446262**	**2649234**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1196257**	**2440183**	**2641568**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	1133932	184672	247994
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	268988	179370	206938
1.1.3- न्याय	107259	162074	183508
1.1.4- कारागार	50427	87204	41804
1.1.5- पुलिस	41592	981865	1015568
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	-405941	844998	945756
1.2- सामान्य शोध	7326	6079	7666
2- सुरक्षा	**51473**	**55504**	**57773**
3- शिक्षा	**2043563**	**2619570**	**3250653**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	65461	73411	79861
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	1978102	2546159	3170792
4- स्वास्थ्य	**471865**	**579575**	**588988**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	65808	104813	75527
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	406057	474762	513461
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**1102684**	**1436649**	**1429203**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	741876	984825	1035376
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	360808	451824	393827
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**599047**	**682127**	**662580**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**-17531**	**154566**	**139742**
8- आर्थिक सेवायें	**3022487**	**2996210**	**3274355**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	72442	121226	125344
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	846815	1167051	1229736
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	80659	77962	74342
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	778422	742279	829705
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	790141	975793	1028006
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	454008	-88101	-12778
9- अन्य सेवायें	**1821210**	**2117025**	**2344686**
9.1- विपदा सहायता	365	3051	2050
9.2- अन्य विविध कार्य	1820845	2113974	2342636
योग	**10298381**	**13087488**	**14397214**

राज्य सरकार के आय– व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

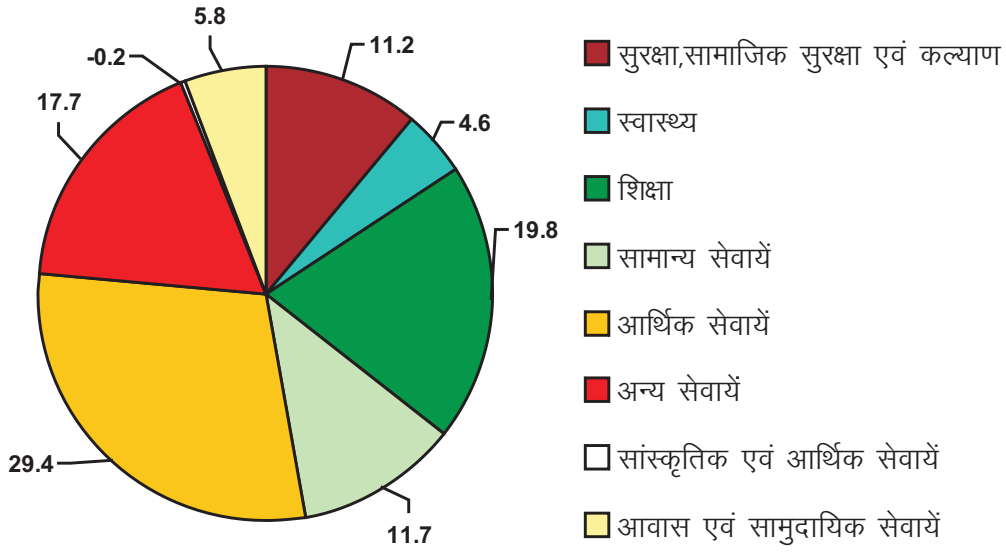

वास्तविक
2009-10

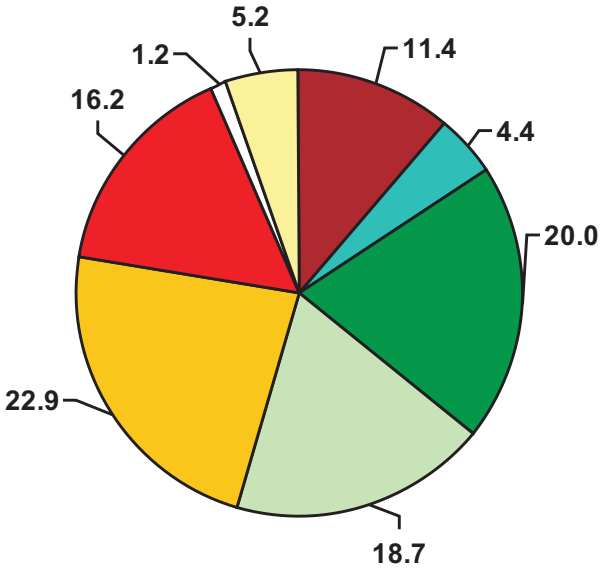

पुनरीक्षित अनुमान
2010-11

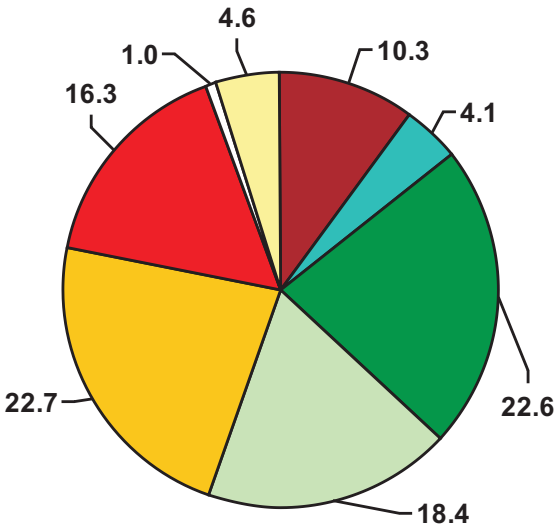

आय–व्ययक अनुमान
2011-12

सारणी– 6.7

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण– प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मद	वास्तविक 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010–2011	आय–व्ययक अनुमान 2011–2012
1	2	3	4
1– सामान्य सेवायें	**11.7**	**18.7**	**18.4**
1.1– सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**11.6**	**18.6**	**18.3**
1.1.1– सामान्य प्रशासन	11.0	1.4	1.7
1.1.2– करों की उगाही का व्यय	2.6	1.4	1.4
1.1.3– न्याय	1.0	1.2	1.3
1.1.4– कारागार	0.5	0.7	0.3
1.1.5– पुलिस	0.4	7.5	7.0
1.1.6– अन्य सामान्य सेवायें	-3.9	6.4	6.6
1.2– सामान्य शोध	0.1	0.1	0.1
2– सुरक्षा	**0.5**	**0.4**	**0.4**
3– शिक्षा	**19.8**	**20.0**	**22.6**
3.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.6	0.6	0.6
3.2– स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	19.2	19.4	22.0
4– स्वास्थ्य	**4.6**	**4.4**	**4.1**
4.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.6	0.8	0.5
4.2– अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	4.0	3.6	3.6
5– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**10.7**	**11.0**	**9.9**
5.1– समाज कल्याण सेवायें	7.2	7.5	7.2
5.2– समाज सुरक्षा सेवायें	3.5	3.5	2.7
6– आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**5.8**	**5.2**	**4.6**
7– सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**-0.2**	**1.2**	**1.0**
8– आर्थिक सेवायें	**29.4**	**22.9**	**22.7**
8.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.7	0.9	0.9
8.2– कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	8.2	8.9	8.5
8.3– खनिज, उद्योग एवं निर्माण	0.8	0.6	0.5
8.4– विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	7.6	5.7	5.8
8.5– परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0
8.6– परिवहन एवं संचार	7.7	7.5	7.1
8.7– अन्य आर्थिक सेवायें	4.4	-0.7	-0.1
9– अन्य सेवायें	**17.7**	**16.2**	**16.3**
9.1– विपदा सहायता	0.0	0.0	0.0
9.2– अन्य विविध कार्य	17.7	16.2	16.3
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

सारणी- 6.8

विकासगत तथा अविकासगत व्यय

व्यय की मदें	(व्यय लाख रुपयों में) वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012	(प्रतिशत वितरण) वास्तविक 2009-2010	पुनरीक्षित अनुमान 2010-2011	आय-व्ययक अनुमान 2011-2012
1	2	3	4	5	6	7
1- विकासगत व्यय	**7149673**	**8347471**	**9220177**	**69.4**	**63.8**	**64.0**
1.1- शिक्षा	2043563	2619570	3250653	19.8	20.0	22.6
1.2- स्वास्थ्य	471865	579575	588988	4.6	4.4	4.1
1.3- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	1102684	1436649	1429203	10.7	11.0	9.9
1.4- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	599047	682127	662580	5.8	5.2	4.6
1.5- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	-17531	154566	139742	-0.2	1.2	1.0
1.6- आर्थिक सेवायें *	2950045	2874984	3149011	28.7	22.0	21.8
2- अविकासगत व्यय	**3148708**	**4740017**	**5177037**	**30.6**	**36.2**	**36.0**
2.1- सामान्य सेवायें	1203583	2446262	2649234	11.7	18.7	18.4
2.2- सुरक्षा	51473	55504	57773	0.5	0.4	0.4
2.3- आर्थिक सेवायें	72442	121226	125344	0.7	0.9	0.9
2.4- अन्य सेवायें **	1821210	2117025	2344686	17.7	16.2	16.3
योग	**10298381**	**13087488**	**14397214**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम सम्बंधी व्यय, जिनकों अविकासगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है, सम्मिलित नही है। इन व्ययों को अविकासगत व्यय के मद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

**इस मद के अन्तर्गत दैवी आपदाओं के लिये तथा शरणार्थियों के लिये सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

अध्याय-7

कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

1- सामान्य सेवायें-

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है-

1.1-सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था-

1.1.1- सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन-राज्यपाल, मंत्रिमण्डल एवं उनके कर्मचारी वर्ग, सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठानों, जिला प्रशासन, लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल- राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन- चुनाव के व्यय में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई, चुनाव कराने आदि के व्यय सम्मिलित है।

1.1.2- करों की उगाही पर व्यय- इसके अन्तर्गत वृहत जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, विद्युत शुल्क उगाही, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प, निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागों के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेख, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय "अन्य सामान्य सेवायें" उप शीर्षक में निहित किये जाने के कारण इस उपवर्ग में नही दिखाये गये है।

1.1.3- न्याय प्रशासन- न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महाप्रशासन तथा राजन्यासी, दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय आदि सम्बंधी व्ययों तथा निशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया हैं।

1.1.4- कारागार- प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार सम्बंधी डिपों, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प व्यस्यक कारागार, हवालातों, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण सम्बंधी व्यय को इस उपवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.1.5- पुलिस- इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य-कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस नियंत्रण, अपराध अनुसन्धान विभाग, पुलिस विकास योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस, विशेष पुलिस, विभागीय योजनायें, राज्य अग्नि शमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें- इस उप शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक, राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग, पंचायती और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय और प्रकीर्ण

अंशदान सम्मिलित है। अधिवर्ष भत्ते और पेंशन को सभी कार्य वर्गो में वेतन पर व्यय के अनुपात में बांट दिया गया है।

1.2– सामान्य शोध– इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाले संस्थानों एवं संगठनों तथा तत्सम्बंधी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

2– सुरक्षा– इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेंस सम्बंधी व्यय एवं इनसे सम्बंधित संयंत्रों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।

3– शिक्षा–

3.1– सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध – इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद, पाठ्य पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियम एवं कार्यप्रणाली पर व्यय सम्मिलित हैं।

3.2– स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें– इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं, बधिर मूक एवं अन्धों के लिये विद्यालयों के प्राविधान, छात्र वृत्ति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यो हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित है।

4– स्वास्थ्य–

4.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध– इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर, नर्सो आदि के विनियम तथा कार्य प्रणाली, मेषज नियन्त्रण व कार्यशाला, जन्म–मृत्यु की रजिस्ट्री, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा इससे सम्बंधित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित है।

4.2– अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें–इस उपशीर्षक में इन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका सम्बंध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों, मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरण तथा उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किये गये है। पशु चिकित्सा सम्बंधी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित है।

5– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें–

5.1– समाज कल्याण सेवायें– इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्णकारों पर व्यय, नशाबन्दी, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रुजालयों तथा अवेक्षागृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अन्धों को परिवीक्षा सेवायें, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बंधी व्यय तथा अनुदान, कल्याणकारी समितियों के सहायतार्थ ऋण इस उपवर्ग में सम्मिलित किये गये है।

5.2- समाज सुरक्षा सेवायें- इस उपवर्ग में समाज सुरक्षा योजनायें, राज्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पेंशन सम्मिलित है।

6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें-

इस मद के अन्तर्गत आवास सम्बंधी प्रशासन विनियम और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्सम्बंधी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित हैं । इसके अन्तर्गत नगर नियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा उनसे सम्बंधित कार्य-कलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है। सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन बस्तियों की सफाई कार्य, सड़को की सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं जल की निकासी, स्वच्छ एवं धुआँ रहित वातावरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित किया गया है।

7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें-

इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद सम्बंधी चल-चित्र का उत्पादन, उद्यानों, क्रीड़ा स्थलों, व्यायामशालाओं, खेल-कूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन.सी. सी. प्रशिक्षण, छात्रावास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालन वाणिज्यिक तौर पर नही किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्य-कलाप में संलग्न है, को सहायतार्थ एवं उन पर व्यय सम्मिलित हैं। धार्मिक सेवायें जैसे- मंदिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं पर व्यय एवं सामान्य सहायतार्थ संगठनों को अनुदान सम्बंधी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित है।

8- आर्थिक सेवायें-

8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध- इस उप शीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियम तथा वाणिज्यिक पंजीकरण, तकनीकी, अभियन्त्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप तथा बाँट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी विनिर्दिष्ट वर्ग में नही है, सम्मिलित है।

8.2- कृषि, वन, सिचाई, मत्स्य एवं शिकार- इस उप शीर्षक में इन विभागों तथा चकबन्दी का सामान्य प्रशासन, विनियम, शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है। चकबन्दी, कृषि सम्बंधी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम, पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय सम्बंधी व्यय, अभिजनन क्रियायें, रोगाणु व्यय तथा तत्सम्बंधी व्यय, ऋण अग्रिम एवं अनुदान, दुग्ध सम्पूर्ति योजना के लिये पूंजीगत परिव्यय, भूमि संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वन्य जीवन की संरक्षण एवं निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौध रोपण, वनों के प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान सम्मिलित है।

8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण कार्य- इसके अन्तर्गत खनिज तथा उद्योगों के निदेशालय, अधीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरघा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित है।

8.4– विद्युत शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल– इसके अन्तर्गत विद्युत शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि व्यय तथा राजकीय विद्युत परिषद को ऋण एवं अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

8.5– परमाणविक ऊर्जा– परमाणविक ऊर्जा सम्बंधी प्रशासन एवं शोध पर व्यय, परमाणु ऊर्जा आयोग, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा वैधानिक संस्थाओं पर व्यय व अनुदान इसमें सम्मिलित है।

8.6– परिवहन तथा संचार– इसके अन्तर्गत सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगिता यन्त्र तथा उपकरण, पूंजी अन्तरण, जल मार्गो सम्बंधी व्यय, राष्ट्रीय मार्गो, सड़को तथा जल मार्गो एवं उनके अधिष्ठानों एवं प्रकाशन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार सम्बंधी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित है।

8.7– अन्य आर्थिक सेवायें– इसके अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण, बहुधन्धी जल योजनायें, अग्रगामी योजनायें, भण्डारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है।

9– अन्य सेवायें–

9.1– विपदा सहायता– सूखा और बाढ़ सहायता, देवी आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय दिखाये गये हैं।

9.2– अन्य विविध कार्य– वे सेवायें जिनका वर्गीकरण कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्ग में नही किया गया है जैसे जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर, अन्तर्राज्य जल विवाद आयोग पर व्यय, भारत सेवक समाज को अनुदान सम्मिलित हैं। सामान्य ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, अनिर्दिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण है।

****

परिशिष्ट–1 (अ)

आय–व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय

(लाख रुपयों में)

मद	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1– सामान्य सेवायें	**540319**	**632522**	**679985**	**761781**	**936573**	**1080326**	**1333280**	**1458470**	**1203583**
1.1– सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**538832**	**628212**	**677394**	**757277**	**933659**	**1074408**	**1313165**	**1439027**	**1196257**
1.1.1– सामान्य प्रशासन	66665	63544	63415	71879	73871	113882	108041	658567	1133932
1.1.2– करों की उगाही का व्यय	46411	62977	103134	64549	77494	97917	108513	123752	268988
1.1.3– न्याय	31253	35743	38955	44554	48823	60323	65361	65782	107259
1.1.4– कारागार	12054	13629	18749	18161	20542	23842	24090	44065	50427
1.1.5– पुलिस	223098	262492	281094	302045	347958	397958	473258	30764	41592
1.1.6– अन्य सामान्य सेवायें	159351	189827	172047	256089	364971	380486	533902	516097	-405941
1.2– सामान्य शोध	1487	4310	2591	4504	2914	5918	20115	19443	7326
2– सुरक्षा	**10717**	**14347**	**14617**	**16649**	**17242**	**23725**	**26163**	**35955**	**51473**
3– शिक्षा	**679614**	**760370**	**756938**	**948530**	**1145033**	**1346352**	**1500975**	**1883592**	**2043563**
3.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	16737	18572	37348	20169	24992	26606	35811	42290	65461
3.2– स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	662877	741798	719590	928361	1120041	1319746	1465164	1841302	1978102
4– स्वास्थ्य	**133123**	**143281**	**158737**	**180576**	**219076**	**330656**	**321370**	**307702**	**471865**
4.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6503	9709	5479	7487	11722	14618	16066	34790	65808
4.2– अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	126620	133572	153258	173089	207354	316038	305304	272912	406057
5– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**93868**	**159385**	**172805**	**234252**	**255631**	**401072**	**606001**	**884994**	**1102684**
6– आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**120723**	**144052**	**117537**	**152170**	**229243**	**310242**	**386764**	**630429**	**599047**
7– सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**6274**	**11820**	**50360**	**14422**	**30024**	**33012**	**22040**	**126236**	**-17531**

मद	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	**862069**	**887179**	**1594453**	**1170224**	**1379018**	**2013430**	**2425267**	**2818131**	**3022487**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	18051	25767	39326	39050	50598	94604	50830	59915	72442
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	412738	437221	435517	438544	498004	628734	717899	820537	846815
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	33260	40459	79482	28579	42247	57228	102214	100883	80659
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	142937	142645	818954	320218	293417	575765	774142	834766	778422
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	189537	204904	217114	247663	483435	672846	678961	748393	790141
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	65546	36183	4060	96170	11317	-15747	101221	253637	454008
9- अन्य सेवायें	**798220**	**1198598**	**1864289**	**2053911**	**1394086**	**1563822**	**1503267**	**1728286**	**1821210**
कुल योग	**3244927**	**3951554**	**5409721**	**5532515**	**5605926**	**7102637**	**8125127**	**9873795**	**10298381**
(ब) विकासगत व्यय	1877620	2080320	2811504	2661124	3207427	4340160	5211587	6591169	7149673
(स) अविकासगत व्यय	1367307	1871234	2598217	2871391	2398499	2762477	2913540	3282626	3148708

परिशिष्ट–1 (C)

आय–व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय–

(प्रतिशत वितरण)

मद	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1– सामान्य सेवायें	**16.7**	**16.0**	**12.5**	**13.8**	**16.7**	**15.2**	**16.4**	**14.8**	**11.7**
1.1– सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**16.6**	**15.9**	**12.5**	**13.7**	**16.7**	**15.1**	**16.2**	**14.6**	**11.6**
1.1.1– सामान्य प्रशासन	2.0	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	1.3	6.7	11.0
1.1.2– करों की उगाही का व्यय	1.4	1.6	1.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	2.6
1.1.3– न्याय	1.0	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0
1.1.4– कारागार	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
1.1.5– पुलिस	6.9	6.6	5.2	5.5	6.2	5.6	5.8	0.3	0.4
1.1.6– अन्य सामान्य सेवायें	4.9	4.8	3.2	4.6	6.5	5.4	6.6	5.2	-3.9
1.2– सामान्य शोध	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.1**
2– सुरक्षा	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.5**
3– शिक्षा	**20.9**	**19.2**	**14.0**	**17.2**	**20.4**	**19.0**	**18.5**	**19.1**	**19.8**
3.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
3.2– स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	20.4	18.8	13.3	16.8	20.0	18.6	18.0	18.6	19.2
4– स्वास्थ्य	**4.1**	**3.6**	**2.9**	**3.2**	**3.9**	**4.7**	**4.0**	**3.1**	**4.6**
4.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6
4.2– अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	3.9	3.4	2.8	3.1	3.7	4.5	3.8	2.8	4.0
5– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**2.9**	**4.0**	**3.2**	**4.2**	**4.6**	**5.6**	**7.4**	**9.0**	**10.7**
6– आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**3.7**	**3.7**	**2.2**	**2.8**	**4.1**	**4.4**	**4.8**	**6.4**	**5.8**
7– सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**0.2**	**0.3**	**0.9**	**0.3**	**0.5**	**0.5**	**0.3**	**1.3**	**-0.2**

मद	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	**26.6**	**22.5**	**29.5**	**21.1**	**24.6**	**28.3**	**29.8**	**28.5**	**29.4**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	0.6	0.6	0.7
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	12.7	11.1	8.1	7.9	8.9	8.8	8.8	8.3	8.2
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	1.0	1.0	1.5	0.5	0.8	0.8	1.3	1.0	0.8
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	4.4	3.6	15.1	5.8	5.2	8.1	9.5	8.4	7.6
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.6- परिवहन एवं संचार	5.9	5.2	4.0	4.5	8.6	9.5	8.4	7.6	7.7
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	2.0	0.9	0.1	1.7	0.2	-0.2	1.2	2.6	4.4
9- अन्य सेवायें	**24.6**	**30.3**	**34.5**	**37.1**	**24.9**	**22.0**	**18.5**	**17.5**	**17.7**
कुल योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(ब) विकासगत व्यय	**57.8**	**52.6**	**52.0**	**48.1**	**57.2**	**61.2**	**64.2**	**66.8**	**69.4**
(स) अविकासगत व्यय	**42.2**	**47.4**	**48.0**	**51.9**	**42.8**	**38.8**	**35.8**	**33.2**	**30.6**

उत्तरांचल राज्य के गठन के कारण वास्तविक अनुमानों में दिनांक 8.11.2000 तक की ही स्थिति प्रदर्शित की गयी हैं।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश
website: http://updes.up.nic.in